

प्रपत्र- 2.2

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी0 16 तुडतुडिया के पास ओलिंग होते हुए भैरु, ओखलधार तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्मित प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।


सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

ह0-

अधिशाली अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

कार्यालय ज्ञाप

जिला योजना 2011-12 की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने विषयक शासनादेश संख्या 624/जि०यो०/सो०यो०शा०/मु०सं०/2008-09 दिनांक 24.03.2008 एवं उप सचिव, लो०नि०वि०-2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1905/11(2)/11-05 (नजट)/2011, दिनांक 18.04.2011 में निहित प्राविधानों के तहत अधिशारी अभियन्ता, प्रांतीय स्तर, लो०नि०वि०, बागेश्वर के पत्रांक 150/जि०यो०/2011-12, दिनांक 17.08.2011 द्वारा जिला स्तरीय सड़क सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 17.08.2011 को आयोजित की गई थी। जिसमें समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जे०पद बागेश्वर में मार्गों के नव निर्माण/पुनः निर्माण एवं डामरीकरण तथा पुल-पुलियों के निर्माण हेतु 610.00 लाख के कार्य अनुमोदन किये गये हैं तदनुसार अधिशारी अभियन्ता, प्रा०ख० लो०नि०वि० बागेश्वर में नये मोटर मार्गों के निर्माण एवं डामरीकरण कार्य हेतु 310.32 करोड़ की कुल 102 कार्यों के लिए प्रारम्भिक आगमन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की रिपोर्ट एवं शासनादेश सं० 205/XXVII (1)/2009 दिनांक 25.03.2009 तथा उक्त शासनादेश सं० 1905/11(2)/11-05 (नजट)/2011 दिनांक 18.04.2011 में निहित प्राविधानों के अनुसार तथा तकनीकी समिति द्वारा आगमन की जाँच उपरान्त संलग्न ची० लि० लिखित कुल 102 कार्यों के लिए उनके आगे अंकित धनराशि की प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है, कि स्वीकृति कार्यों के लिए अलग-अलग विस्तृत आगमन गृहित कर एवं प्रस्ताव पर समस्त अधिकारी के प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को सीमा तक ही व्यय किया जाये।

इस निबन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 के आव-व्ययक के अनुदान सं०-22 लेखा वि० सं० 54 सड़कों तथा सतुओं पर मूजीगत परिचय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयतन-100-अन्य व्यय-91 जिला योजना-00-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे जाता जायेगा। उपर्युक्त जिला योजना में उल्लिखित 102 कार्यों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 1905/11(2)/11-05 (नजट)/2011, दिनांक 18.04.2011 में दी गयी अन्य शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जाय कि कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति नियमानुसार शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(सीपक रावत)
जिलाधिकारी बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर

- पत्रांक 150/जिला योजना/2011-12 दिनांक 22/10/2011
- प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
1. जिला प्रमुख, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 2. जिला निर्माण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 3. जिला निर्माण विभाग-उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
 4. जिला निर्माण विभाग (प्रथम) ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, गाजरा देहरादून।
 5. आयुक्त, जिला बागेश्वर, गैनीताल।
 6. मुख्य अभियन्ता सं० 1, लो०नि०वि०, देहरादून।
 7. निदेशक, जिला बागेश्वर, उत्तराखण्ड-देहरादून।
 8. मुख्य अभियन्ता, जिला बागेश्वर, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।
 9. उप निदेशक, जिला बागेश्वर, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।
 10. जिला निर्माण विभाग प्रथम, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।
 1. अधिशारी अभियन्ता प्रा०ख० लो०नि०वि०, बागेश्वर।
 2. वरिष्ठ कार्यालयी, बागेश्वर।
 3. जिला अधीनस्थ सहायक अधिकारी बागेश्वर।
 4. जिला सूचना विभाग अधिकारी-बागेश्वर।

मेपि नॉहि बागी/अभियन्ता मित्राणि वगैरे लो०नि०वि० कार्यालय को भेजना बागेश्वर

मेपि सार्वजनिक सहायक अधिकारी प्रा०ख० लो०नि०वि० को भेजना बागेश्वर

5 6
16

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति लागत (लाख ₹ में)
1	2	3
42	कमंडी की से चीनाला हनुमान मन्दिर तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 5 किमी०	0.20
43	भयू गु र मोटर मार्ग का विस्तार खडकुका ना तोली तक (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी०	0.50
44	कपको :- शाघो मोटर मार्ग के प्रा०प्रा० डीपडा से खवेधार तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी०	0.50
45	बैडा- डोडा जारती प्रधानमंत्री जयमंडल योजना जारती से तारी मूलनाथगढ़ मंदिर तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी०	0.50
46	बागेश्वर-धरमघाट मोटर मार्ग से जलमासी से हॉस्पिटल तक 500मी० (नॉनभूमि में)	1.00
47	बागेश्वर-कपकोट मोटर मार्ग के किमी० 16 तुंडतुडिया के पास ओलिंग होते हुये गुरु ओखलघार तक मोटर मार्ग (नॉनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 6 किमी०	0.50
48	असा-बसकुना मोटर मार्ग से बैडा मिलान मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी०	0.50
योग :-		103.44
महायोग :-		310.32

अनुमोदित
17/05

प्रमुख अधिकारी
राष्ट्रीय खेपडा लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर

प्रमुख अधिकारी
राष्ट्रीय खेपडा लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर